रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1983/भाद्र 5, 1905
No. 376] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1983/BHADRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1983

का. आ. 625(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 16 के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित करती है कि कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के सिवाय पटसन टाट के विक्रय और क्रय के लिए भारत के किसी भी स्थान में अग्रिम संविदा नहीं करेगा और पूर्वोक्त धारा 16 के खण्ड (क) के अधीन इस अधिसूचना की तारीख को ऐसे माल के अग्रिम बाजार के बन्द होने के समय या यदि उस तारीख को कोई व्यापार नहीं

हुआ था तो व्यापार की पिछली पूर्ववर्ती तारीख को प्रचलित दर को उस दर के रूप में नियत करती है जिस पर अंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा से भिन्न कोई ऐसी संविदा जो इस अधिसूचना की उक्त तारीख को या उसके पूर्व की गई हो और जिसका पालन उक्त तारीख के पश्चात किया जाना हो, बन्द की गई समझी जाएगी और धारा 17 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह भी घोषणा की जाती है कि धारा 16, ऐसे माल के विक्रय या क्रय के लिए अंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा को जो इस अधिसूचना की तारीख को या उसके पूर्व की गई हो और जिसका पालन उक्त तारीख के पश्चात किया जाना हो, लागू नहीं होगी ।

[फा. सं. 16(2)-आई.टी./80]

आई. एम. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1983

S.O. 625(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 17, read with section 16 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby declares that no person shall, save with the permission of the Central Government, enter into any forward contract for the sale or purchase of jute sacking in any place in India and fixes, under clause (a) of the said section 16 aforesaid, the rate prevailing at the time at which the forward market in such goods closed on the date of this notification, or, if there was no trading on that date, on the last preceding date of trading, as the rate at which any such forward contract, other than a transferable specific delivery contract, entered into on or before the said date of this notification and remaining to be performed after the said date shall be deemed to be closed; and in persuance of sub-section (3) of section 17, it is further declared that section 16 shall not apply to transferable specific delivery contract for the sale or purchase of such goods entered into on or before the date of this notification and remaining to be performed after the said date.

[F. No. 16(2)-IT|80]

I. M. SAHAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983